कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ

पत्रसं0प–1927/एफ.एस–2013 दिनांक:सितम्बर, 24 2015

सेवा में,

निदेशक
बसेरा सिटी डेवलपर्स प्रा0लि0,
गोमती नगर,लखनऊ

विषय :– मेसर्स बसेरा सिटी डेवलपर्स प्रा0लि0 गोमती नगर,लखनऊ,द्वारा प्लाट संख्या 17/जी. एच.–02,सेक्टर–17,वृंदावन योजना–04 राय बरेली रोड लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र दिनॉक 19.09.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्ननगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त विषयक भवन के संसोधित मानचित्र का एन0बी0सी0–2005 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से पुनः निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 द्वारा कराया गया तो ,निम्न तथ्य प्रकाश में आए :–

भवन की संरचना :–

1–कुल भूखण्ड एरिया 8935.99 वर्ग मीटर ।

2 –प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन का ग्राउण्ड कवरेज 3029.13 वर्ग मीटर ।

3 –प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के प्रथम तल से 13वें तल तक प्रत्येक तल का कबर्ड एरिया अलग–अलग 2647.16–2647.16 वर्ग मीटर व 14वें तल का कबर्ड एरिया 1144.41 वर्ग मीटर है।

4 –भवन के बेसमेंट का कबर्ड एरिया 6779.60 वर्ग मीटर है ।

5 –भवन की अधिकतम उचॉई 45.00 मीटर है ।

भवन का अधिभोग एॅव हैजार्ड श्रेणी –प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 में आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढॉचागत व्यावस्था :–

1–पहुॅच मार्ग :–प्रश्नगत भवन के मानचित्र में 30.0 मीटर रोड की चौडाई अंकित है ।

2–प्रवेश व निकास द्वार की चौडाई :–भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु दो गेट प्रस्तावित है, जिनकी प्रत्येक की चौडाई 06–06 मीटर मानचित्र में अंकित है ।

3–सेटबैक :– प्रस्तावित भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है –

- अग्रभाग 14.00 मीटर ।
- पृष्ठभाग 14.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम 14.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय 14.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा । प्रश्नगत भवन के बेसमेंट का जो भाग भवन के प्रोजेक्शन से बाहर है उसके सलैब का भार वहन क्षमता 45 टन रखा जाना आवश्यक होगा ।

4–निकास मार्ग :–प्रस्तावित भवन में कुल 05 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौडाई 1.5–1.5 मीटर मानचित्र में प्राविधान किया गया है,जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

5–रिफ्यूज एरिया का विवरण –भवन में बालकनी प्राविधानित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :– एन0बी0 सी0 – 2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यांवस्थाएं पूर्ण किये जाने अनिवार्य है ।

1–भूमिगत टैंक :– भूमिगत टैंक 1.0 लाख लीटर पानी के क्षमता का मानचित्र में प्रस्तावित है ।

2–पम्प :–भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का एक अदद विद्युत चालित पम्प , समकक्ष क्षमता का डीजल चालित पम्प,तथा जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का लगाया जाना आवश्यक होगा ।

3–होजरील :–प्रस्तावित भवन में होजरील ,लैडिंग वाल्व,आई0एस0–3844 मानको के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।., तथा प्रत्येक तल पर लैडिंग वाल्व के पास होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप रखा जाना अनिवार्य होगा ।

4–वेटराइजर :–प्रस्तावित भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरुप लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

5–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में **यार्ड हाइड्रेंट** होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0 एस0 13039:1991 के अनुसार किया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :–प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना आवश्यक होगा ।

7–स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम :–भवन में आवश्यक नही ।

8–स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :– भवन के बेसमेंट, में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में अंकित है ,स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा । बेसमेंट में कम्पार्टमेंटेसन एन0बी0सी0–2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

9–टैरिस टैंक :–प्रस्तावित भवन के टैरिस पर अग्निशमन कार्य हेतु स्थाई टैरिस टैंक 10 हजार लीटर पानी के क्षमता का स्थापित किया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

10–टेरिस पम्प :–प्रश्नगत भवन में आवश्यक नही ।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर) :–प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूसर आई0एस0 2190–2010 के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

12–स्मोक एक्सट्रेक्सन सिस्टम :–

ए0–फायर चेक डोर ,स्मोक चेक डोर की लोकेसन व रेटिंग 2 एच रखा जाना आवश्यक होगा।

बी 0– प्रस्तावित भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्सन सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।

13 –प्रेशराईजेशन प्रणाली :– आवश्यक नही ।

14 –एक्जिट साइनेज :–सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज प्राविधानित किये जाने होगें ।

15–पी0ए0 सिस्टम :–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा ।

16–प्रश्नगत भवन में **इमरजेंसी / एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0–2005 ,पार्ट–04 में उल्लिखित के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

17– भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0–2005 , पार्ट–04 के प्रस्तर–सी–05,सी–07 , सी–08,व सी–09 में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा ।

18– भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट , स्टेयरकेशों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स बसेरा सिटी डेवलपर्स प्रा0लि0 गोमती नगर,लखनऊ,द्वारा प्लाट संख्या 17 / जी.एच.–02,सेक्टर–17,वृदावन योजना–04 राय बरेली रोड लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के निमार्ण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन /इकाइयो में अग्नि से सुरक्षा संबंधी सभी प्रस्तावित प्राविधान व इस पत्र में अंकित शर्तो को भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिग कोड आफ इंडिया –2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त ,भवन का प्रयोग करने से पहले प्राविधानित एवं शर्तो के अनुसार भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानक के अनुसार भैतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण ,अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा । अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्नक :01सेट मानचित्र

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपि –

1– अग्निशमन अधिकारी,पी0जी0आई0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

2 – अधिशासी अभियन्ता,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित है ।